

::1::

प्ररूप 33

{ नियम 37 (2) (ग) देखिए }

प्रत्येक मास तम्बाकू पैक करने का जिम्मा लेने वाले पैकरों और निर्यातकों और ब्योहारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी
(उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन को या उसके पूर्व प्रति मास प्रस्तुत की जाए)

1.पैकर का नाम	:
2.रजिस्ट्रीकरण सं.	:
3.पुनःशुष्क करने का स्थान/पैक करने के परिसर	:
	मास के लिए विवरणी (टनों में परिमाण)

निम्नलिखित के लिए पुनःशुष्क की गई और पैक की गई तम्बाकू (कम्पनी या फर्म का नाम रजिस्ट्रीकरण संख्या सहित दें)	पुनःशुष्क की गई और पैक की गई तम्बाकू की विशिष्टियां					पुनःशुष्क करने के संग्रहीत कुल प्रभार
	किस्म एफ.सी.वी/वी.ए.सी/एस.सी.सी/अन्य किस्में विनिर्दिष्ट करें ।	फसल	वर्ष	श्रेणी(आर.एल/आर.एस)	परिमाण	
1	2	3	4	5	6	7
जोड:						

::2::

सारांश:

किस्म	फसल	वर्ष	परिमाण	मास के दौरान पुनःशुष्क की गई और पैक की गई	वर्ष के दौरान संचयी परिमाण
वि.एफ.सी/					
वि.ए.सी/					
वि.एस .सी/					
एस.सी.सी/					
बुर्ली/					
अन्य/					

स्थान:

तारीख :

कम्पनी /फर्म के कार्यकलापों के भारसाधक व्यक्ति के हस्ताक्षर